RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
फरवरी
27
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

महिलाओं की रात्रिकालीन गिरफ़्तारी पर मद्रास उच्च न्यायालय का फ़ैसला / Madras HC Ruling on Night Arrests of Women

संदर्भ:

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** के तहत **सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी अनिवार्य (Mandatory) नहीं, बल्कि निर्देशात्मक (Directory) है**।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय:

- **अनुच्छेद 46(4) अनिवार्य नहीं** – दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 46(4) अनिवार्य नहीं, बल्कि निर्देशात्मक (directory) है।
- **एकल न्यायाधीश के निर्णय को निरस्त किया** – इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने गिरफ्तारी को धारा 46(4) का उल्लंघन मानते हुए अवैध ठहराया था, जिसे उच्च न्यायालय ने पलट दिया।
- **गिरफ्तारी अवैध नहीं होगी** – यदि इस धारा का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया जाएगा।
- **सार्वजनिक हित का प्रश्न** – न्यायालय ने कहा कि यदि प्रक्रिया का यांत्रिक पालन किया जाता है, तो महिला अपराधी कानून से बच सकती हैं, जिससे सार्वजनिक हित को नुकसान होगा।
- **सुरक्षा उपाय** – यदि कोई अधिकारी इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसे इसका लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
- **दिशानिर्देश जारी करने का आदेश** – पुलिस को यह स्पष्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है कि "असाधारण परिस्थितियाँ" (exceptional circumstances) क्या होंगी।
- **अनिवार्य क्यों नहीं?** – न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान अनिवार्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गैर-अनुपालन की स्थिति में किसी दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।

महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपाय (BNSS 2023 और CrPC):

रात्रि में गिरफ्तारी प्रतिबंधित – महिलाओं को **सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले** गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह असाधारण स्थिति न हो।

असाधारण मामलों में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक:

- यदि किसी महिला को **रात में गिरफ्तार करना आवश्यक हो**, तो **महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट** के माध्यम से **मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति** लेनी होगी।

महिला को छूने की सीमा:

- पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करते समय **अनावश्यक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते**, जब तक कि यह **अपरिहार्य न हो**।
- यदि गिरफ्तारी आवश्यक हो, तो **महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तारी करेगी**।

"असाधारण परिस्थितियाँ" पर अस्पष्टता:

- कानून में "असाधारण परिस्थितियाँ" (Exceptional Situations) की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे **विभिन्न व्याख्याएँ और भ्रम** उत्पन्न होते हैं।

सीआरपीसी की धारा 46(4) - पृष्ठभूमि

135वें विधि आयोग की रिपोर्ट (1989)

- सिफारिश की गई कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में:
  - शीर्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी।
  - आवश्यक स्थिति में, गिरफ्तारी का कारण बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी:
    - शीर्ष अधिकारी को
    - मजिस्ट्रेट को

154वें विधि आयोग की रिपोर्ट (1996): 135वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को दोहराया गया, जिसमें महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान शामिल थे।

सीआरपीसी में समावेश (2005)

- इन सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 46(4) जोड़ी गई।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) का निर्देश:

- महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में किसी भी महिला को हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
- सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

- इस नियम का कठोरता से पालन व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है।
- कुछ परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन आवश्यक हो सकता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध: संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर अमेरिका का रुख बदला / Russia-Ukraine war: US position changed on UN resolutions

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर **रूसी आक्रमण की निंदा की** और **रूसी सेना की तत्काल वापसी** की मांग की। इस प्रस्ताव का **अमेरिका और रूस दोनों ने विरोध किया**।

यूएनजीए प्रस्ताव: प्रमुख बिंदु

- **प्रस्ताव का शीर्षक:** "यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति को बढ़ावा देना"
- **अमेरिका का रुख:** अमेरिका उन 18 देशों में शामिल था, जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - रूस को 2022 के युद्ध का आक्रांता घोषित किया।
  - यूक्रेन की **संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता** की पुष्टि की।
  - यह स्पष्ट किया कि बलपूर्वक या बल की धमकी देकर भूमि पर कब्जा अवैध है।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया।
  - रूस से तुरंत यूक्रेन से पीछे हटने और युद्ध समाप्त करने की मांग की।
- **विरोध करने वाले देश:** अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया, हंगरी, इज़राइल और अन्य।

यूक्रेन पर यूएनजीए में अमेरिका का रुख:

- यूएनएससी में रूस के वीटो के कारण यूएनजीए (UNGA) बना मुख्य मंच।
- युद्ध के बाद से अमेरिका ने छह ऐसे प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया।

रूस के वीटो के कारण यूएनजीए मुख्य मंच बना, जहां अमेरिका ने **छह प्रस्तावों** का समर्थन किया:

- **मार्च 2022:** 141 देशों के साथ रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा, सेना हटाने की मांग।
- **मार्च 2022:** 139 देशों के साथ यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन, रूस को सेना हटाने को कहा।
- **अप्रैल 2022:** 93 देशों के साथ रूस की मानवाधिकार परिषद से सदस्यता निलंबित।
- **अक्टूबर 2022:** 143 देशों के साथ रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्रों पर क जे की निंदा।
- **नवंबर 2022:** 94-14 मतों से रूस से मुआवजा और बल प्रयोग बंद करने की मांग।
- **फरवरी 2023:** 141-7 मतों से पारित प्रस्ताव में रूस से सेना हटाने की अपील

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) संयुक्त राष्ट्र (UN) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यह यूएन का मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला अंग है।
- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
- वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा होती है।
- इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं।
- **UNGA ही एकमात्र ऐसा UN अंग है जहां सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है।**
- यह गैर-सदस्य देशों को पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा दे सकता है।

प्रमुख कार्य:

1. संयुक्त राष्ट्र के बजट की जिम्मेदारी।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य नियुक्त करना।
3. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति।
4. प्रस्तावों (Resolutions) के माध्यम से सिफारिशें देना।

समय उपयोग सर्वेक्षण / Time Use Survey

संदर्भ:

आंकड़ों एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आयोजित **टाइम यूज सर्वे (TUS) 2024** के अनुसार, महिलाओं की **वेतनभोगी रोजगार और देखभाल संबंधी गतिविधियों में भागीदारी** में वृद्धि हुई है।

समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey - TUS):

परिचय:

- समय उपयोग सर्वेक्षण (TUS) यह मापता है कि जनसंख्या विभिन्न गतिविधियों में अपना समय कैसे व्यतीत करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं की **सशुल्क (Paid) और निःशुल्क (Unpaid) गतिविधियों में भागीदारी** को मापना है।

समय उपयोग सर्वेक्षण 2024:

- **अवधि:** जनवरी – दिसंबर 2024
- **कवरेज:**
  - **1.3 लाख घरों** (ग्रामीण और शहरी) के **4.5 लाख से अधिक लोगों** को शामिल किया गया।
  - प्रत्येक चयनित घर के **6 वर्ष और उससे अधिक आयु** के सभी सदस्यों से जानकारी एकत्र की गई।

जारी करने वाला संगठन:

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)**
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI**

पिछले सर्वेक्षण:

- **पहला अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण**: जनवरी – दिसंबर 2019
- **दूसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण**: जनवरी – दिसंबर 2024

समय उपयोग सर्वेक्षण 2024: मुख्य निष्कर्ष

1. कार्यबल भागीदारी में वृद्धि:

- महिलाओं की **रोजगार संबंधी गतिविधियों** में भागीदारी **2019 में 21.8% से बढ़कर 2024 में 25%** हो गई।
- पुरुषों की भागीदारी **70.9% से बढ़कर 75%** हो गई।
- यह **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी** में वृद्धि को दर्शाता है, हालांकि **श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर** अभी भी बना हुआ है।

2. अवैतनिक घरेलू कार्यों में समय की कमी:

- महिलाओं ने **अवैतनिक घरेलू कार्यों** में **2019 में 315 मिनट से घटकर 2024 में 305 मिनट प्रतिदिन** व्यतीत किए।
- पुरुषों द्वारा ऐसे कार्यों में दिया गया समय **सिर्फ 88 मिनट प्रतिदिन** रहा।
- यह बदलाव **महिलाओं के सशुल्क कार्यों की ओर बढ़ने** का संकेत देता है।

3. महिलाओं की देखभाल (Caregiving) में प्रमुख भूमिका

- **15-59 वर्ष की आयु** की **41% महिलाएँ** देखभाल संबंधी गतिविधियों में शामिल रहीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत **21.4%** ही रहा।
- महिलाएँ प्रतिदिन **137 मिनट** देखभाल कार्यों में बिताती हैं, जबकि पुरुष केवल **75 मिनट** देते हैं।

सकारात्मक रुझान और चुनौतियाँ:

सकारात्मक रुझान:

- **महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में वृद्धि:** महिलाओं की रोज़गार दर 2019 में 8% से बढ़कर 2024 में 25% हो गई, जो सशुल्क कार्यों की ओर बदलाव को दर्शाती है।
- **अवैतनिक घरेलू कार्यों में कमी:** महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्यों में प्रतिदिन 10 मिनट की कमी आई, जिससे लैंगिक संतुलन की ओर प्रगति हुई है।
- **देखभाल की ज़िम्मेदारियों को अधिक मान्यता:** पुरुषों और महिलाओं दोनों की देखभाल कार्यों में भागीदारी बढ़ी, जिससे परिवारों में इसकी महत्ता को पहचान मिली।
- **सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों में वृद्धि:** संस्कृति, मीडिया और खेल पर खर्च किया गया समय 9% से बढ़कर 11% हो गया।
- **बच्चों में सीखने की गतिविधियों में वृद्धि:** 6-14 वर्ष के 3% बच्चे प्रतिदिन 413 मिनट सीखने की गतिविधियों में व्यतीत कर रहे हैं, जो मजबूत शैक्षिक सहभागिता को दर्शाता है।

नकारात्मक पहलू और चुनौतियाँ:

- **घरेलू कार्यों में लैंगिक असमानता:** महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 201 मिनट अधिक अवैतनिक घरेलू कार्यों में व्यतीत करती हैं, जो गहरे सामाजिक-पारिवारिक मानदंडों को दर्शाता है।
- **युवाओं में सीखने के समय में गिरावट:** पुरुषों की सीखने की गतिविधियों में 11 मिनट और महिलाओं की 10 मिनट की कमी आई, जिससे शिक्षा में संभावित गिरावट देखी गई।
- **पुरुषों की देखभाल कार्यों में सीमित भागीदारी:** केवल 4% पुरुष देखभाल संबंधी कार्यों में शामिल हुए, जबकि महिलाओं की भागीदारी 41% रही, जिससे महिलाओं पर देखभाल का अधिक बोझ बना हुआ है।

CAG रिपोर्ट / CAG Report

संदर्भ:

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने हाल ही में दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से संबंधित **14 लंबित रिपोर्टें संसद में पेश की हैं**। इनमें **रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में दिल्ली सरकार को अनुमानित ₹2,002 करोड़ के नुकसान** की बात कही गई है।

CAG रिपोर्ट की प्रमुख निष्कर्ष:

नीतिगत अनियमितताएँ:

- शराब लाइसेंस कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित कर दिए गए, जिससे एकाधिकार (Monopoly) और कार्टेल (Cartel) बनने का खतरा बढ़ा।
- नीति निर्माण के दौरान आवश्यक स्वीकृतियाँ और सक्षम प्राधिकरण की अनुमति नहीं ली गई।
- सरकारी निगमों को दरकिनार कर लाइसेंस निजी कंपनियों को दिए गए।

आर्थिक हानि:

- नीति से सरकार को ₹2,000 करोड़ का भारी राजस्व नुकसान हुआ।
- ज़ोनल लाइसेंस छूट (Zonal License Exemptions) के कारण ₹941 करोड़ का नुकसान।
- रिटेल लाइसेंस की निविदा प्रक्रिया (Non-Tendering of Retail Licenses) को न अपनाने से ₹890 करोड़ की हानि।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) – प्रमुख बिंदु

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 151**:
  - सीएजी केंद्र सरकार के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के समक्ष रखता है।
  - राज्य सरकार के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो इसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखता है।
  - **लोक लेखा समिति (PAC)** चयनित रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सरकार से जवाब मांगती है और 'कार्रवाई की गई रिपोर्ट' (Action Taken Report) प्रस्तुत करने को कहती है।

CAG द्वारा किए जाने वाले ऑडिट के प्रकार:

1. **अनुपालन ऑडिट** – कानूनों और नियमों के पालन की जांच करता है।
2. **प्रदर्शन ऑडिट** – सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है।
3. **वित्तीय ऑडिट**– सरकारी खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) की वित्तीय स्थिति की प्रमाणिकता की पुष्टि करता है।

ऑडिट विषयों का चयन:

- सीएजी जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) के आधार पर ऑडिट विषयों का चयन करता है।
- परियोजनाओं के आकार, मीडिया कवरेज और पिछले निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है।
- सीएजी **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों (INTOSAI)** के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वार्षिक ऑडिट योजना तैयार करता है।
- एक **ऑडिट सलाहकार बोर्ड (Audit Advisory Board)** विषयों और कार्यप्रणाली का सुझाव देता है।
- सरकार या अदालतें भी ऑडिट की सिफारिश कर सकती हैं।

ऑडिट प्रक्रिया:

1. **प्रवेश सम्मेलन (Entry Conference)** – संबंधित विभाग के साथ बैठक कर ऑडिट योजना, कार्यप्रणाली और समयसीमा तय की जाती है।
2. **ऑडिट निष्कर्ष (Findings)** – ऑडिट पूरा होने के बाद एक **निकास सम्मेलन (Exit Conference)** आयोजित किया जाता है, जिसमें निष्कर्षों पर चर्चा होती है।
3. **ड्राफ्ट रिपोर्ट** – विभाग को भेजी जाती है और उसे **छह सप्ताह** के भीतर उत्तर देना होता है।
4. **अंतिम रिपोर्ट** – सरकार को प्रस्तुत की जाती है और विधायिका के समक्ष रखी जाती है।

CAG रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण:

- **अनुच्छेद 151** के तहत सीएजी रिपोर्ट को संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है।
- इस कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार ने कुछ सीएजी रिपोर्टें चार साल तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कीं, जबकि वे उपराज्यपाल को सौंपी जा चुकी थीं।

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज / India's social security coverage

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की **वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26** के अनुसार, भारत की जनसंख्या का कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ (स्वास्थ्य को छोड़कर) प्राप्त करने का अनुपात **2021 के 24**% से बढ़कर **2024 में 49%** हो गया है।

सामाजिक सुरक्षा क्या है?

सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और संरक्षण प्रदान करती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जब वे सेवानिवृत्ति, बेरोज़गारी, बीमारी या विकलांगता का सामना कर रहे होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को आवश्यक सेवाएँ और संसाधन प्रदान करना है जो उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करें।

भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की सामाजिक बीमा (Social Insurance) को कवर करती हैं:

- **पेंशन** – वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए।
- **स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा लाभ** – चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए।
- **विकलांगता लाभ** – किसी दुर्घटना या विकलांगता के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए।
- **मातृत्व लाभ** – गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए।
- **ग्रेच्युटी** – दीर्घकालिक सेवा के बाद कर्मचारियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता।

विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26:

सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि

- वर्ष 2018 में कुल जनसंख्या का **24.4%** कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर था, जो 2022 में बढ़कर **48.8%** हो गया।
- सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, बीमा और पेंशन कार्यक्रम इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।
- इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग

- **ई-श्रम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म** का उपयोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और निगरानी के लिए किया जा रहा है।
- इससे श्रमिकों को रोज़गार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

सामाजिक सुरक्षा का महत्व:

समावेशी समाज: बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों को सुरक्षा प्रदान करना।

जलवायु अनुकूलन में सहायता: गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को कम करने में मदद।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू

- **हरित नौकरियों** की ओर संक्रमण।
- **टिकाऊ आर्थिक नीतियों** को बढ़ावा।

भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ:

सामाजिक सुरक्षा कवरेज:

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों का अभाव।
- केवल 26% भारतीय महिलाएँ किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ी हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आँकड़ा **39%** है।

अपर्याप्त वित्त पोषण: भारत सामाजिक सुरक्षा पर केवल 5% GDP खर्च करता है, जो वैश्विक औसत 13% से काफी कम है।

स्वचालन (Automation) का प्रभाव: AI और ऑटोमेशन से 2030 तक लगभग 1.2 करोड़ नौकरियाँ प्रभावित हो सकती हैं (McKinsey रिपोर्ट)।

आगे की राह:

- **सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना:** बेरोज़गारी बीमा और पेंशन योजनाओं का विस्तार, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।
- **लैंगिक असमानता को दूर करना:** मातृत्व लाभों (Maternity Benefits) का विस्तार और महिलाओं के लिए पेंशन योजनाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
- **डेटा संग्रह और निगरानी में सुधार:** बेहतर डेटा संग्रह और निगरानी प्रणाली से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचना।
- AI युग में पुन: कौशल विकास पर ज़ोर देना।

घड़ियाल / Gharial

संदर्भ:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री **मोहन यादव** ने हाल ही में **मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य** में **10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा**। यह पहल **घड़ियाल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण** को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण से जुड़ी प्रमुख बातें:

घड़ियालों का पुनर्वास:

- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चंबल नदी में 9 नर और 1 मादा घड़ियाल छोड़े।
- इसका उद्देश्य राज्य में घड़ियालों की संख्या को और बढ़ाना है।

घड़ियालों की संख्या में बदलाव:

- **2024 की जनगणना** के अनुसार, मध्य प्रदेश में **2,456 घड़ियाल** दर्ज किए गए।
- 1950-60 के दशक में घड़ियालों की संख्या 80% से अधिक घट गई थी।
- 1997 तक संरक्षण कार्यक्रमों से संख्या में सुधार हुआ, लेकिन 1997-2006 के बीच 58% की गिरावट आई।
- वयस्क घड़ियालों की संख्या 436 से घटकर 182 रह गई।

घड़ियाल: एक परिचय:

वैज्ञानिक नाम: Gavialis gangeticus

मुख्य विशेषताएँ:

- लंबी, पतली थूथन और आपस में फंसे हुए तेज दांत।
- नर घड़ियाल की थूथन के सिरे पर घड़े जैसी संरचना होती है, जिससे इसे "घड़ियाल" कहा जाता है।
- मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है।

धार्मिक महत्व: भारतीय पौराणिक कथाओं में इन्हें माँ गंगा का वाहन माना गया है।

आवास और वितरण:

- ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में पाए जाते थे।
- वर्तमान में इनकी मुख्य आबादी **चंबल, गिरवा (भारत) और राप्ती-नारायणी (नेपाल)** नदियों में केंद्रित है।

प्रजनन और पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:

- **प्रजनन:** नवंबर-जनवरी | **अंडे देने का समय:** मार्च-मई
- मृत जीवों को खाकर नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक।

घड़ियालों के लिए खतरे:

ऐतिहासिक खतरे: खाल, ट्रॉफी, अंडों और पारंपरिक दवाओं के लिए अत्यधिक शिकार।

आधुनिक खतरे:

- **आवास हानि:** बाँध निर्माण, रेत खनन और नदी मार्गों में बदलाव।
- **प्रदूषण:** औद्योगिक और कृषि कचरा।
- **मत्स्य पालन:** जाल में फंसकर दुर्घटनावश मौतें।

संरक्षण स्थिति और प्रयास:

जनसंख्या प्रवृत्ति:

- **1950-60:** 80% तक गिरावट, फिर 1997 तक धीमी वृद्धि।
- **1997-2006:** संख्या 58% घटी (436 से 182 वयस्क)।
- **2024: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (NCS) में 2,456 घड़ियाल दर्ज।**
- **म्यांमार और भूटान में विलुप्त**, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में अनिश्चित संख्या।

भारत में संरक्षण प्रयास:

- **कैप्टिव ब्रीडिंग (1975-1982):** 16 प्रजनन केंद्रों से हजारों घड़ियाल छोड़े गए।
- **पुनर्वास प्रयास:** 2017-2020 के बीच **सतलुज और ब्यास नदियों में छोड़े गए।**
- **मुख्य अभयारण्य: चंबल (मध्य प्रदेश), कतरनियाघाट (उत्तर प्रदेश), सोन नदी (मध्य प्रदेश), सतकोसिया गॉर्ज (ओडिशा)।**
- **खतरा नियंत्रण:** अवैध रेत खनन पर प्रतिबंध, प्रदूषण पर निगरानी, सख्त मत्स्य पालन नियम।
- **जनभागीदारी:** स्थानीय समुदायों को जागरूक कर संरक्षण में शामिल किया गया।

विदेश मंत्री ने यूएसएआईडी फंडिंग पर चिंता जताई / EAM raise concern over USAID Funding

संदर्भ:

हाल ही में, **केंद्रीय विदेश मंत्री** ने **यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID)** द्वारा भारत में **'मतदाता भागीदारी'** गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह मुद्दा चुनावी संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी संवेदनशीलता को उजागर करता है।

- भारत सरकार ने कहा है कि वह यूएस सरकार द्वारा किए गए इस दावे की गंभीरता से जांच कर रही है कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने भारत में मतदाता भागीदारी को प्रभावित करने के लिए **$21 मिलियन खर्च** करने की योजना बनाई थी।

भारत में USAID की भूमिका:

आरंभिक सहयोग:

- **USAID (United States Agency for International Development)** का भारत में सहयोग **1951** में **India Emergency Food Aid Act** के तहत शुरू हुआ, जिसे राष्ट्रपति **हैरी ट्रूमैन** ने स्वीकृत किया।

वित्तीय योगदान और परियोजनाएँ:

- **2022 की रिपोर्ट** के अनुसार, **USAID ने 2023-24 में सात परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण किया**।
- **1951 से अब तक, USAID ने भारत को 17 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की**।
- **भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA)** के अनुसार, ये परियोजनाएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:
  - कृषि और खाद्य सुरक्षा
  - जल, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH)
  - नवीकरणीय ऊर्जा
  - आपदा प्रबंधन
  - स्वास्थ्य

मुख्य साझेदारी कार्यक्रम:

1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम:

- **ग्रामीण गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा** दिया जाता है।
- भारत में सिद्ध नवाचारों को अन्य देशों तक विस्तारित करने का लक्ष्य।

2. जल, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) कार्यक्रम:

- **USAID और भारत सरकार** ने **सुरक्षित और किफायती पेयजल तथा स्वच्छता सेवाओं** के मॉडल विकसित और परीक्षण किए।

3. सतत वन एवं जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम:

- FOREST-PLUS 2.0 (Forest for Water and Prosperity) – 2018 में लॉन्च।
- तीन राज्यों में वन प्रबंधन में सुधार, पारिस्थितिकी सेवाओं को बढ़ावा, और आर्थिक अवसरों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित।

4. नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक एवं नवाचार कार्यक्रम:

- दक्षिण एशिया क्षेत्र पर केंद्रित।
- अमेरिकी सरकार की Indo-Pacific Energy Initiative: Asia EDGE (Enhancing Development and Growth through Energy) का समर्थन।

USAID से जुड़ी हालिया विवादित घटनाएँ:

1. **भारत में दखल देने के आरोप** – भारतीय सरकार **USAID द्वारा 21 मिलियन डॉलर खर्च कर** भारत में मतदाता टर्नआउट प्रभावित करने के आरोपों की जांच कर रही है। यह रिपोर्ट DOGE द्वारा जारी की गई थी।
2. **वैश्विक फंडिंग कटौती** – **ट्रंप प्रशासन** ने USAID की वित्तीय सहायता रोक दी और WHO से हटने का निर्णय लिया। इससे अफ्रीकी देशों, विशेषकर रवांडा, को साझेदारों जैसे चीन की ओर रुख करना पड़ा।
3. **USAID संचालन समाप्त करने की योजना** – एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को USAID को भंग करने की अनुमति दी, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया और विदेशी सहायता कर्मियों को वापस बुलाया गया।

USAID फंडिंग फ्रीज़ होने का वैश्विक प्रभाव

1. मानवीय संकट
2. विदेश नीति पर प्रभाव
3. सुरक्षा पर असर
4. भू-राजनीतिक बदलाव

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

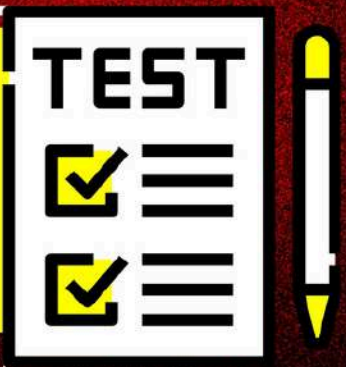

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
>>>
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !